(295)

संख्या– 49 /XXVII(1)/2013

प्रेषक,

एल.एन. पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–**मुख्य नगर अधिकारी/**
नगर निगम, देहरादून।
2–मुख्य नगर अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी,
हरिद्वार, हल्द्वानी।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 28 जनवरी, 2013

विषयः–तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निणर्य के अनुसार नगर निगमों को वित्तीय वर्ष 2012–13 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त का अन्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार 03 नगर निगमों को संलग्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त हेतु **₹ 158743000.00 (₹ पन्द्रह करोड़ सत्तासी लाख तैंतालीस हजार मात्र)** की धनराशि अंतरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अंतरित की जा रही हैः–

(1) अंतरित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–388/XXVII/(1)/2012, दिनांक 23 जुलाई, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नगर विकास विभाग अंतरित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगे। कोषागार से आहरित धनराशि की बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

(5) सम्बन्धित निकाय की अलोटमेन्ट आईडी संलग्न है।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की **अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–191–नगर निगम–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता तथा संलग्न बी0एम0–15 के कॉलम–4 की बचतों (अलोटमेन्ट आईडी–R1301070049)** से वहन किया जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

आज्ञा से,

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव,वित्त।

संख्या–49 (1)/XXVII(1)/ 2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/ कुमायूं मण्डल।
3– सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4– जिलाधिकारी, जनपद– देहरादून/हरिद्वार/ नैनीताल।
5– निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6– निदेशक, शहरी विकास विभाग, देहरादून।
7– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/ कोषाधिकारी.....।
10–एन0आई0सी0सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव,वित्त।

शासनादेश संख्याः 49 /XXVII(1)/ 2013
दिनांकः 28 जनवरी, 2013
तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में नगर निगमों को
वित्तीय वर्ष 2012–13 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त का अंतरण

(धनराशि ₹ हजार में)

क0 सं0	जनपद	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	चुतर्थ किश्त
1	*2*	*3*	*4*
नगर निगम			
1–	देहरादून	देहरादून	88315
2–	हरिद्वार	हरिद्वार	42183
3–	नैनीताल	हल्द्वानी	28245
योग			158743

(रू0 पन्द्रह करोड़ सत्तासी लाख तैंतालीस हजार मात्र)

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव, वित्त।

उत्तराखण्ड शासन

(वित्तीय वर्ष 2012-2013)

बी .एम. - 15

अलोटमेंट आईडी - R1301070049
दिनांक- 21-Jan-2013

अनुदान संख्या - 007
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - .

(In Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखाशिर्षक (1)	मानक मदवार अवशेष व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशी (4)	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशी स्थानान्तरित की जानी है (5)		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी (7)	अभियुक्ति
	3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 01 नगरीय स्थानीय निकाय 193 नगर पंचायतें/नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि 04 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनु अन्य अनुदान 00 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अ (Non Plan Voted)				3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 01 नगरीय स्थानीय निकाय 191 नगर निगम 03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन 00 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत कर (Non Plan Voted)				
1	20 - सहायक अनुदान/अंशदान/र 563900000	494802582	61697418	7400000	20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज स	7400000	642387000	556500000	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होता है ।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 15 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेन्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला ,देहरादून को उपलब्ध करायी जाय

पुनर्विनियोग स्वीकृति ।

भवदीय

(एल. एन. पन्त)
अपर सचिव, वित्त ।